कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1512/एडमिन (बी–I) सेक्शन दिनांकित 24.04.2024 में वर्णित Circular Letter no. 797/ Admin. (B-I) Sec. Dated 15-03-1994 के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह मई, 2024 से मार्च, 2025 तक के लिए जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद स्थित परिसर में ठेका–फ्रूट, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, ठेका–साईकिल स्टैंड एवं ठेका–मजमा फड़ को सील बन्द टेण्डर के माध्यम से उठाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 09–05–2024 को 12:00 बजे तक सील बन्द टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं, जो उसी दिन समय सांय 04:00 बजे टेण्डर दाताओं की उपस्थिति में केन्द्रीय सभागार, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद में खोले जायेगें। उक्त तीनों ठेकों की न्यूनतम धनराशि एवं जमानत धनराशि निम्न प्रकार हैः–

कमांक	ठेके का नाम	ठेके की न्यूनतम धनराशि	ठेके की जमानत धनराशि
1	फ्रूट, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स	रू0 100000/–	रू0 20000/–
2	साईकिल स्टैंड	रू0 500000/–	रू0 100000/–
3	मजमा फड़	रू0 10000/–	रू0 3000/–

टेण्डर खुलने से पूर्व टेण्डरदाओं को ठेके की बतौर अग्रिम धरोहर धनराशि नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, फिरोजााबद में जमा करनी होगी, जो टेण्डर स्वीकार होने पर ठेके की राशि में समायोजित हो जायेगी अन्यथा अगले कार्य दिवस को वापस कर दी जायेगी। शेष नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत अनुभाग, के नोटिस बोर्ड पर या नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद से प्राप्त की जा सकती हैं।

(मिनाक्षी सिन्हा)
सदस्य, ठेका नीलामी समिति/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
फिरोजाबाद।

(अवधेश कुमार सिंह)
सदस्य, ठेका नीलामी समिति/
न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम
कोर्ट संख्या–01, फिरोजाबाद।

(सुनील कुमार सिंह–II)
अध्यक्ष, ठेका नीलामी समिति/
प्रथम अपर जिला जज
कोर्ट संख्या01, फिरोजाबाद।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को प्रकाशनार्थ एवं सूचना पटल पर लगाने हेतु प्रेषित।

1– माननीय उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु
2– जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद की आधिकारिक वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3– समाचार–पत्र "शिकोहाबाद समय"।
4– दैनिक स्थानीय समाचार–पत्र।
5– जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर।
6– विकास भवन के नोटिस बोर्ड पर।
7– कलैक्ट्रेट फिरोजाबाद के नोटिस बोर्ड पर।
8– तहसील, फिरोजाबाद के नोटिस बोर्ड पर।
9– जिला पंचायत, फिरोजाबाद के नोटिस बोर्ड पर।
10– नगर मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद के नोटिस बोर्ड पर।
11– नगर निगम, फिरोजाबाद के नोटिस बोर्ड पर।
12– बस स्टेण्ड व रेलवे स्टेशन पर चस्पा करने हेतु।